पटना में दिनांक–11 अगस्त, 2015 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. कृषि महाविद्यालय, किशनगंज, की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि महाविद्यालय के लिए कुल 84 पदों (एसोसिएट डीन सह–प्रिंसिपल–01, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर–05, एसोसिएट प्रोफेसर–11, असिस्टेंट प्रोफेसर–25, नन टिचिंग स्टाफ–42) के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 359.18 लाख (तीन करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति। — **1. स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

2. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत उत्पाद कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने एवं तत्संबंधी 42.00 करोड़ रूपये की समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली (Integrated Excise Mangement System) योजना की प्रशासनिक तथा योजना कार्यान्वयन दल के गठन की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **2. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

3. पथ प्रमंडल सं०–1, जहानाबाद के अन्तर्गत जहानाबाद–कलपा–किनारी–धुरिया–आदमपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 15.70 (कुल 15.70 कि०मी०) पथांश लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य कुल 2824.58 लाख (अठाईस करोड़ चौबीस लाख अनठावन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

4. संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 24 (चौबीस) कनीय अभियंता (असैनिक) का वर्ष 2015 में आदेश निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

5. वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत् राज्य के भूमिहीन, निर्धन, भिक्षुकों एवं असहाय के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बल (ऊनी) वितरण हेतु 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 5. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, नियमावली–2003 के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000–15,200/–(पुनरीक्षित वेतनमान पे–बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन–6600/–) में प्रदत्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं रूपान्तिरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत वेतनमान पे बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन–₹ 7600/–में प्रदत्त तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को "छुट्टी यात्रा रियायत" की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा–शर्त्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम–16 को संशोधित कर एक नया विनियम–"16 क" अन्तः स्थापित करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. स्वास्थ्य विभाग में परिचारिका श्रेणी 'ए',ए०एन०एम० एवं अन्य पारा मेडिक कर्मियों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ मार्गदर्शन के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं०–2374, दिनांक–16.07.2007 की कंडिका–7 में संशोधन के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा निर्देश। — 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के रेडिएशन ऑनकोलॉजी विभाग, क्षेत्रीय कैंसर सेंटर हेतु सहायक प्राध्यापक (मेडिकल फिजिक्स) के 02 (दो) पदों के सृजन के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालन्दा) एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानक के अनुरूप प्रति चिकित्सा महाविद्यालय जूनियर रेजिडेन्ट के 76 (छिहत्तर), अर्थात् कुल 228 (दो सौ अठ्ठाईस), पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

13. अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, पटना को नियमित कर्मियों के वेतनादि का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहायक अनुदान–वेतन मद में उपबंधित कुल रू० 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2015–16 में उद्योग मित्र योजना के लिये अनुमानित व्यय कुल राशि ₹ 1,10,29,000 (एक करोड़ दस लाख उन्नतीस हजार रूपये) मात्र की सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।

14. स्वीकृत।

कृषि विभाग

15. राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए कुल 1303.06 लाख रूपये (तेरह करोड़ तीन लाख छः हजार रूपये) एवं प्रक्षेत्र के सुदृढ़ीकरण मद में 682.94 लाख रूपये (छः करोड़ बेरासी लाख चौरान्वे हजार रूपये) तथा अदेयता/ दायित्व मद में 264.75 लाख रूपये (दो करोड़ चौसठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) इस प्रकार कुल 2250.75 लाख रूपये (बाईस करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) की लागत पर राज्य योजना अन्तर्गत योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति।

15. स्वीकृत।

कृषि विभाग

16. राज्य किसान आयोग को वर्ष 2015–16 में 111.02 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख दो हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

17. रोहतास जिला में सासाराम अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम की स्थापना की स्वीकृति तथा प्रस्तावित संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू० 108.93 करोड़ (एक सौ आठ करोड़ तिरानवे लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत। इस अभियंत्रण महाविद्यालय का नाम शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम होगा।

पथ निर्माण विभाग

18. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मो० फिरोज खाँ, सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को दिनांक-27.08.2010 के भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति देने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

19. जल संसाधन विभाग में वर्ष 2009–10 में संविदा के आधार पर नियोजित 1103 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्त्तमान में कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजन। — 19. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

20. जल संसाधन विभाग में वर्ष 2011 में संविदा के आधार पर नियोजित 435 कनीय अभियंता (असैनिक), एवं वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर नियोजित एक कनीय अभियंता (असैनिक) कुल 436 कनीय अभियंताओं (असैनिक) में से वर्त्तमान में कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजन। — 20. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. प० चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटॉड अंचल के मौजा–मैनाटॉड, थाना सं०–284, खाता सं०–42 के खेसरा सं०–1021/1, रकबा–2.09½ एकड़ तथा खाता सं०–46 के खेसरा सं०–1027/1 एवं 1029/1 रकबा क्रमशः 1.35½ एकड़ एवं 0.05 एकड़ सहित कुल 3.50 एकड़ नवैयत गैरमजरूआ मालिक किस्म जमीन परती कदीम भूमि को 4200/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 14,70,000/–रू० सलामी एवं सलामी के पाच प्रतिशत व्यावसायिक लगान का 25 गुणा अर्थात्–18,37,500/–रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–33,07,500/–रू० के एकमुश्त भुगतान पर ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में — 21. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. नवादा जिलान्तर्गत नवादा सदर अंचल के मौजा–बुधौल, थाना सं०–375, खाता सं०–251, खेसरा सं०–917, रकबा–16.00 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार पुरानी परती भूमि सदर अस्पताल नवादा के भवन एवं आवास निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण। — 22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही अंचल के मौजा–कुकरदौड़ा, थाना सं०–52, खाता सं०–158, खेसरा सं०–02, 130, 141 एवं 170, रकबा क्रमशः–05 एकड़, 8.10 एकड़, 0.40 एकड़ तथा 01.00 एकड़ (कुल रकबा–14.50 एकड़) गैरमजरूआ आम परती चारागाह भूमि 65,25,000.00 (पैंसठ लाख पच्चीस हजार) रू० सलामी तथा सलामी के पांच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात्–81,56,250.00 (इकासी लाख छप्पन हजार दो सौ पचास) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–1,46,81,250.00 रू० (एक करोड़ छियालिस लाख इकासी हजार दो सौ पचास) रूपये के भुगतान पर ग्रीड–सब–स्टेशन के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड पटना को स्थायी हस्तान्तरण। — 23. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

24. वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना का Directorate General of Foreign Trade (DGFT) के साथ एकरारनामा (Memorandum of Understanding (MoU) करने के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

वित्त विभाग

25. श्री श्यामल दास, से०नि० अवर सचिव, अनु०जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–24.01.15 के प्रभाव से वित्त विभाग के अधीन अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध अगले एक वर्ष अथवा समिति के कार्य काल, जो भी पहले हो, तक संविदा पर पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

वित्त विभाग

26. राज्य सरकार के कर्मियों को अपनी पति/पत्नी एवं पुत्र–पुत्री के चिकित्सीय देखभाल हेतु रूपांतरित अवकाश की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

वित्त विभाग

27. C.W.J.C No.-12333/2010 वीणा झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–15.05.14 के सशर्त्त (एल०पी०ए० सं०–1348/14 के फलाफल से प्रभावित होगा) अनुपालन के संबंध में निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक–857/दिनांक–13.07.2015 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

28. श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा के विरूद्ध वृहत दण्ड "श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम की दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से कटौती करने तथा निलम्बन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नही होगा" को अधिरोपित करने का प्रस्ताव। — 28. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

29. श्री विवेक कुमार, उप निदेशक (प्रशिक्षण) के विरूद्ध वृहत दण्ड "श्री कुमार, उप निदेशक, मुख्यालय (प्रशिक्षण) (जिनका वेतनमान 15600–39100–ग्रेड पे०–7600/–है) का उप निदेशक, प्रशिक्षण के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर निर्धारित किये जाने" को अधिरोपित करने का प्रस्ताव। — 29. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. वित्तीय वर्ष 2015–16 में सैनिक स्कूल, नालंदा के प्रथम चरण अंतर्गत भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन आधारित 40,98,91,000 रूपये (चालीस करोड़ अंठानवे लाख इक्यानवे हजार) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस स्वीकृति के अन्तर्गत शेष ₹ 18,10,13,000 रूपये (अठारह करोड़ दस लाख तेरह हजार) की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

31. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–1232/2000 दुर्गावती जलाशय परियोजना विस्थापित संघ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–03.03.06 को पारित आदेश के आलोक में दुर्गावती जलाशय परियोजना से शत प्रतिशत विस्थापित परिवारों के एक व्यक्ति को पुनर्वास समन्वय समिति की अनुशंसा के मद्देनजर में समूह–"घ" के रिक्त पदों के विरूद्ध दावा करने वालों में शेष बचे विस्थापित परिवार के 44 व्यक्ति तथा अबतक दावा नहीं करने वाले 44 परिवारों में से दावा करने पर 44 व्यक्ति के नियोजन एवं नियमितिकरण के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

32. राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त, 2015 से 20,000 (बीस हजार) उत्थान केन्द्र के टोला सेवकों एवं 10,000 (दस हजार) तालीमी मरकज केन्द्र के शिक्षा स्वयंसेवियों के वर्त्तमान मानदेय 5000/–(पांच हजार) रू० प्रतिमाह से वृद्धि कर 8,000/–(आठ हजार) रू० प्रतिमाह करने, इनकी सेवाएँ 60 (साठ) वर्ष की आयु सीमा तक लेने एवं सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000 (चार लाख) रू० की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। — 32. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

33. पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत बिहारशरीफ बाईपास (पचासा मोड़, NH-31 से उपरोरा, NH-82 तक) के कुल 6.00 कि०मी० पथांश लंबाई में विविध कार्य, भू-अर्जन कार्य, यूटिलिटि शिफ्टिंग कार्य, उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित निर्माण कार्य कुल 8928.90 लाख (नवासी करोड़ अठाईस लाख नब्बे हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

34. पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के अन्तर्गत ताजपुर–हरपुर भिन्डी–हलईहाट (एन०एच०–103) पथ के कि०मी० 0 से 17.31 तक (कुल 17.310 कि०मी० पथांश लंबाई) में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य कुल 3662.85 लाख (छत्तीस करोड़ बासठ लाख पचासी हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 34. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

35. पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत लखौरा–आदापुर–मटियरवा से भारत–नेपाल सीमा सड़क तक भाया नरकटियागंज पथ के कि०मी० 0 से 28.60 तक (कुल 28.60 कि०मी० पथांश लंबाई) में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, विविध कार्य, आकस्मिकता कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य कुल 4614.41 लाख (छियालीस करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 35. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

36. प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को डुमराँव (बक्सर) में 1942 के "भारत छोड़ो आन्दोलन" के चार अमर शहीदों का "शहादत दिवस" राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में।	**36. स्वीकृत।**